

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 164 / 2022(2022 / 719)

1. चेतन पुत्र बन्ना जाति बलाई निवासी मेवदाकलां तहसील केकडी जिला अजमेर जरिये मुक्तधारआम प्रेमचन्द रेगर पुत्र नारायण रेगर जाति रेगर निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♣ बनाम ♣

1. श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपरिथत:-

प्रार्थी वकील :- श्री नवल किशोर पारीक

पैराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 10.11.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत् 2073-76 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
2159-14	6720 / 1235	0.0900	बारांगी 3
	कुल कित्ता 1	कुल रकबा 0.0900	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की कब्जे काशत स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें प्रार्थीगण बतोर खातेदार काशतकार दर्ज है प्रार्थीगण का कब्जा काशत निरन्तर चला आ रहा हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के नाम बतोर खातेदार काशतकार के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अपने कृषि आराजीयात में सुधार कार्य व तारबंदी करवाना चाहते हैं जिसके लिए खातेदारी से स्थायी पत्थरगढ़ी होकर सीमांकन हो जावे तो खेत पडोस व अन्य खातेदार से किसीप्रकार विवाद नही हो इसलिए प्रार्थीगण अपने कृषि आराजीयात पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के कार्यालय में दिनांक 27.1.2022 को उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार स्थायी पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है जिससे की अन्य खातेदारो व अन्य पडोसीयो से किसी प्रकार का मौके पर विवाद उत्पन्न नही हो। इसलिए आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः स्थायी पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब




उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नहीं है पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर गनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भूरा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके करखा बघेरा तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 2159-14 के खसरा संख्या 6720/1235 रकबा 0.0900 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।




(विष्णु मधोली)
उपस्वण्ड अधिकारी
केकडी